

**अध्याय-I**  
**राज्य सरकार का वित्त**



1. यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित मुख्य राजकोषीय संग्रह में परिवर्तन का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2018 को बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सरकार के घाटे प्रबंधन, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति, आकस्मिक मुद्दे, प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य/बाध्यकारी व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश एवं उधारी के स्वरूप पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

राज्य की रूप रेखा **परिशिष्ट 1.1** में दर्शायी गयी है।

### 1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) और राज्य के जी0एस0डी0पी0 की चालू मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

**तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद और बिहार का जी.एस.डी.पी.**

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत का सकल घरेलू उत्पाद चालू मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,17,101	3,42,951	3,69,469	4,25,888	4,87,628
चालू मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.30	8.15	7.73	15.27	14.50
स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,69,650	2,79,482	2,95,622	3,24,778	3,61,504
स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	4.98	3.65	5.77	9.86	11.31

(स्रोत: जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी) सरकारी लेखे की संरचना **भाग-क** में वर्णित है और वित्त लेखे की रूप रेखा **परिशिष्ट 1.2** के **भाग-ख** में है। बिहार के जी0एस0डी0पी0 का भारत के जी0डी0पी0 में योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.91 प्रतिशत था। बिहार के जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर झारखंड (8 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (10 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (11 प्रतिशत) एवं छत्तीसगढ़ (11 प्रतिशत) से ज्यादा थी।

#### 1.1.1 राजकोषीय लेन-देन का सारांश

**तालिका 1.2** और **1.3**, वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है जबकि 2017-18 के दौरान संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

<sup>1</sup> जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 निश्चित समय की अवधि में क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर सभी आधिकारिक रूप में मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है।

तालिका 1.2: 2013-18 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>खण्ड- 'क' राजस्व</b>					
राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
कर राजस्व	19,961	20,750	25,449	23,742	23,137
करेत्तर राजस्व	1,545	1,558	2,186	2,403	3,507
संघीय कर/शुल्कों का अंश	34,829	36,963	48,923	58,881	65,083
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	12,584	19,146	19,565	20,559	25,720
<b>खण्ड- 'ख' पूँजीगत एवं अन्य</b>					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	15	1,493	19	23	22
अंतर्राज्यीय समाशोधन	0	0	0	0	0
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	9,907	13,918	18,383	21,577	13,169
आकस्मिकता निधि	1,450	1,650	4,477	5,438	6,053
लोक लेखा प्राप्तियाँ	33,458	40,251	49,106	61,730	57,107
आंशिक नकद शेष	3,716	6,156	6,337	11,717	17,062
<b>योग</b>	<b>1,17,465</b>	<b>1,41,885</b>	<b>1,74,445</b>	<b>2,06,070</b>	<b>2,10,860</b>

\* वर्ष के दौरान कोई अर्थापय अग्रिमों की निकासी नहीं की गई।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3: 2013-18 के दौरान व्ययों का सारांश

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>खण्ड- 'क' राजस्व</b>					
राजस्व व्यय	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
सामान्य सेवाएँ	22,018	26,408	27,972	30,607	33,374
सामाजिक सेवाएँ	26,395	31,713	35,943	40,737	45,770
आर्थिक सेवाएँ	14,060	14,445	19,697	23,417	23,476
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4
<b>खण्ड- 'ख' पूँजीगत एवं अन्य</b>					
पूँजीगत व्यय	14,001	18,150	23,966	27,208	28,907
ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	807	369	621	114	243
अंतर्राज्यीय समाशोधन	0	0	0	0	0
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,121	3,609	4,125	4,215	4,654
आकस्मिकता निधि	1,450	1,650	4,477	5,438	6,053
लोक लेखा संवितरण	29,453	39,200	45,923	57,268	46,298
अंतिम नकद शेष	6,156	6,337	11,717	17,062	22,081
<b>योग</b>	<b>1,17,465</b>	<b>1,41,885</b>	<b>1,74,445</b>	<b>2,06,070</b>	<b>2,10,860</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ चालू मूल्य के साथ-साथ स्थिर मूल्य पर नीचे तालिका 1.4 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.4: जी0एस0डी0पी0<sup>2</sup> के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/ पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ</b>					
चालू मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
चालू मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.70	13.78	22.58	9.84	11.23
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	58,406	63,754	76,898	80,599	86,998
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.79	9.16	20.62	4.81	7.94
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	21.73	22.87	26.02	24.79	24.09
<b>जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व व्यय</b>					
चालू मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
चालू मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.71	16.15	15.22	13.33	8.29
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	52,947	59,000	66,893	72,340	76,018
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.93	11.43	13.38	8.14	5.08
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	19.70	21.16	22.63	22.25	21.05
<b>जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष पूँजीगत व्यय</b>					
चालू मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	14,001	18,150	23,966	27,208	28,907
चालू मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	46.08	29.64	32.04	13.53	6.24
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,865	14,756	19,173	20,769	21,413
स्थिर मूल्य पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	36.56	24.37	29.93	8.32	3.10
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	4.42	5.29	6.49	6.39	5.93

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, जी0एस0डी0पी0 प्रतिशत के रूप में, 2013-14 से तुलनात्मक रूप में 2017-18 में बढ़ा है। राजस्व प्राप्तियों को छोड़कर उनके वृद्धि दर को मुद्रास्फीति (स्थिर मूल्य पर) की गणना करने पर 2016-17 के तुलना में 2017-18 में इनकी वृद्धि दर में कमी हुई। विशेष रूप से पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष से काफी कम था।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन बजट में दिए गए प्रमुख परिवर्तनों के अंतर्गत, चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार वास्तविकी और लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित तालिका 1.5 में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण से यह परिलक्षित हुआ कि ₹ 227.06 करोड़ राजस्व अधिशेष अधिक बतलाया गया था जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 227.06 करोड़ कम बतलाया गया था। दूसरे शब्दों में वास्तविक राजस्व अधिशेष ₹ 14,595.95 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 14,531.89 करोड़ है। यह प्रतिवेदन के अंतिम भाग में कंडिका 3.14 एवं तालिका 3.7 में वर्णित है।

<sup>2</sup> जी0एस0डी0पी0 डिप्लेटर = जी0एस0डी0पी0 चालू मूल्य पर/जी0एस0डी0पी0 स्थिर मूल्य पर

तालिका 1.5: 2017-18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविकी	लेखापरीक्षा द्वारा कार्यित वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	₹ 14,555.59 का अधिशेष	₹ 14,823.01	₹ 14,595.95
चालू मूल्य पर राजकोषीय घाटा/ जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)	3.50	3.00	2.87	2.93	2.98
चालू मूल्य पर जी0एस0डी0पी0 की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	24.84	19.81	19.81	32.15	32.15

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग, बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम तथा वर्ष 2017-18 के लिए बजट आँकड़े)

राज्य ने राजस्व अधिशेष का लक्ष्य हासिल किया लेकिन जी0एस0डी0पी0 से बकाया ऋण के अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं किया। 14वें वित्त आयोग एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया परंतु बजट अनुमानों के अनुसार इनका लक्ष्य हासिल नहीं हो सका।

### 1.1.2.1 राजकोषीय घाटे की संरचना एवं वित्त पोषण

राजकोषीय घाटा, राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य के कुल वित्त पोषण (मुख्य रूप से आर0बी0आई0 से अपने नकदी और निवेशित शेष की निकासी एवं उधारी द्वारा) का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषक का स्वरूप तालिका 1.6 में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.6: राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसका वित्त पोषक

विवरण		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजकोषीय घाटा (कोष्ठक में दिए गए आँकड़े जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत को दर्शाते हैं)		8,351.92 (2.63)	11,178.50 (3.26)	12,061.59 (3.26)	16,479.15 (3.87)	14,304.83 (2.93)
1	राजस्व अधिशेष	6,441.42	5,847.56	12,507.16	10,819.81	14,823.01
2	पूँजीगत व्यय	14,001.00	18,150.41	23,966.02	27,208.40	28,906.95
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	792.35	1,124.35	602.73	90.56	220.90
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप*						
1	बाजार उधारी	5,346.77	6,666.51	10,233.12	16,804.96	8,908.00
2	भारत सरकार से ऋण	(-)111.07	84.67	115.86	757.51	586.11
3	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूति	631.52	3,150.22	2,024.86	(-)1,713.12	(-)1,768.75
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	820.31	407.18	1,884.33	1,512.84	790.51
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 297.90	(-) 182.77	(-)73.58	99.63	(-)80.25
6	जमा एवं अग्रिम	3,668.41	2,222.57	3,731.69	5,393.40	10,314.32
7	उचंत तथा विविध	(-) 2,007.59	(-) 1,231.88	(-) 5,245.97	(-)5,666.65	(-)3,813.95
8	प्रेषण	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-) 2.76
9	आरक्षित निधि	262.31	(-) 245.12	(-) 401.15	(-) 712.03	(-) 696.39
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
11	नकद शेष में कमी/ वृद्धि#	(-) 41.82	319.10	(-) 213.62	9.66	68.00
12	सकल राजकोषीय घाटा	8,351.92	11,178.50	12,061.59	16,479.15	14,304.84

\* ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बहिर्गमन के हैं।  
# नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)।

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेख)

### 1.1.2.2 घाटा की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटा पूर्व में लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान को छोड़कर चालू वर्ष के वित्तीय परिचालन का प्रमाण है। राज्य का प्राथमिक घाटा तालिका 1.7 में दिखाया गया है।

तालिका 1.7: प्राथमिक घाटा

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ <sup>3</sup>	प्राथमिक व्यय <sup>4</sup>	राजकोषीय घाटा	ब्याज अदायगी	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2013-14	68,934	71,826	8,352	5,460	2,892
2014-15	79,910	84,960	11,179	6,129	5,050
2015-16	96,142	1,01,105	12,061	7,098	4,963
2016-17	1,05,608	1,13,896	16,479	8,191	8,288
2017-18	1,17,469	1,22,720	14,305	9,054	5,251

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखा)


राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2013-14 में ₹ 2,892 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 5,251 करोड़ हो गया है। जो यह दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। फिर भी, वर्ष 2016-17 की तुलना में राजकोषीय घाटों और प्राथमिक घाटों में क्रमशः 13 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की कमी आयी।

### 1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

बजट अनुमानों के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी, बजट तैयार करने में या तो असंभावित और अप्रत्याशित घटनाओं या कम/अधिक राजस्व या व्यय के अनुमान के कारण होता है। इसका विपरीत प्रभाव वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर पड़ता है।

वर्ष 2017-18 के चयनित राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी चार्ट 1.1 एवं परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2017-18 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी



(स्रोत: बजट दस्तावेज तथा राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2017-18)

<sup>3</sup> गैर ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ और प्राप्तियाँ का योग है।

<sup>4</sup> प्राथमिक राजस्व व्यय (राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान)+ पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम

उपर्युक्त चार्ट 2017-18 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तविक आँकड़ों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जिसकी समीक्षा नीचे दी गयी है:

<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	कर राजस्व में 27.70 प्रतिशत और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों में 30.40 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 14.37 प्रतिशत कम था।
<b>राजस्व व्यय</b>	सामान्य सेवाओं में 19.78 प्रतिशत (प्रशासनिक सेवाएँ में 14.71 प्रतिशत और पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं में 29.92 प्रतिशत की कमी) और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 14.14 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण में 65.81 प्रतिशत और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास में 48.86 प्रतिशत) की कमी के कारण यह बजट आकलन से 16.30 प्रतिशत कम था।
<b>पूँजीगत व्यय</b>	सामान्य सेवाओं में 17.87 प्रतिशत एवं आर्थिक सेवाओं में 7.44 प्रतिशत (कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में 36.14 प्रतिशत और ग्रामीण विकास में 28.19 प्रतिशत) में कमी के कारण यह बजट आकलन से 10.22 प्रतिशत कम था।
<b>राजस्व अधिशेष</b>	राजस्व व्यय में 16.30 प्रतिशत की कमी के कारण यह बजट आकलन से 1.84 प्रतिशत अधिक था। जबकि राजस्व प्राप्ति 14.37 प्रतिशत कम था।
<b>राजकोषीय घाटा</b>	राजस्व व्यय में 16.30 प्रतिशत एवं पूँजीगत व्यय में 10.22 प्रतिशत की कमी के कारण राजकोषीय घाटा बजट आकलन से 21.02 प्रतिशत कम था।
<b>प्राथमिक घाटा</b>	प्राथमिक घाटा बजट आकलन से 38.37 प्रतिशत कम था।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।


## 1.2 राज्य के वित्तीय संसाधन

### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

वर्ष 2013-18 के दौरान कुल प्राप्तियों के विभिन्न घटक, इन घटकों के विचलन की प्रवृत्ति और 2017-18 के दौरान संसाधनों के संघटक को क्रमशः चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2017-18 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना


(₹ करोड़ में)



(स्रोत: राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2017-18)




चार्ट 1.3: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: वर्ष 2017-18 के दौरान कुल प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)




(स्रोत: राज्य का वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

### 1.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14 राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत ब्यौरा देता है। वर्ष 2013-18 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को परिशिष्ट 1.5 तथा चार्ट 1.5 में भी क्रमशः दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: वर्ष 2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना/घटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य के स्वयं राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत से 31 प्रतिशत आता है। राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख घटक केंद्रीय कर स्थानांतरण था जो 47 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के बीच था।

### 1.2.2.1 राज्य के स्व-संसाधन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन का मूल्यांकन कर राजस्व और करेत्तर राजस्व के अनुसार किया जाता है, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान शामिल नहीं है जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं।

राज्य के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व एवं बजट अनुमानों की तुलना नीचे तालिका 1.8 में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2017-18 के लिए प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	32,001.12	23,136.49
करेत्तर राजस्व	2,874.96	3,506.74

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे एवं बजट प्राक्कलन)

### कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2016-17 में ₹ 23,742 करोड़ से 2.55 प्रतिशत घटकर 2017-18 में ₹ 23,137 करोड़ रह गया। कमी/वृद्धि के मुख्य संघटक नीचे तालिका 1.9 में दिए गए हैं:-

तालिका 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 से 2017-18 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,453	8,607	10,603	11,873	8,298	(-) 30.11
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	6,747	-
राज्य उत्पाद शुल्क	3,168	3,217	3,142	30	(-) 3	(-) 110.00
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,712	2,699	3,409	2,982	3,726	24.95
वाहन कर	837	964	1,081	1,257	1,599	27.21
भू-राजस्व	202	277	695	971	779	(-) 19.77
माल एवं यात्रियों पर कर	4,349	4,451	6,087	6,245	1,645	(-) 73.66
अन्य कर	240	535	432	384	346	(-) 9.90
<b>योग</b>	<b>19,961</b>	<b>20,750</b>	<b>25,449</b>	<b>23,742</b>	<b>23,137</b>	<b>(-) 2.55</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और माल एवं यात्रियों पर कर में कमी जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में कमी अप्रैल 2016 से राज्य में मद्यनिषेध लागू होने के कारण हुई। मद्यनिषेध लागू होने से राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व का अंशदान 2015-16 के 26.47 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 22.49 प्रतिशत रह गया। 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण मुख्यतः केंद्रीय कर स्थानांतरण में 2015-16 के 51 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 56 प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य का स्व कर राजस्व मध्यप्रदेश (6.34 प्रतिशत), झारखंड (4.84 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (8.52 प्रतिशत) एवं छत्तीसगढ़ (6.82 प्रतिशत), के तुलना में केवल 4.74 प्रतिशत था।

### करेत्तर राजस्व

2013-18 के दौरान करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेत्तर राजस्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 से 2017-18 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
ब्याज प्राप्तियाँ	269.48	344.77	583.66	939.91	1,577.24	67.81
गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	569.14	879.87	971.34	997.60	1,082.67	8.53
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	706.21	333.34	630.64	465.61	846.83	81.88
<b>योग</b>	<b>1,544.83</b>	<b>1,557.98</b>	<b>2,185.64</b>	<b>2,403.12</b>	<b>3,506.74</b>	<b>45.92</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य का स्व संसाधन 2016-17 के ₹ 26,145.38 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 26,643.23 करोड़ हो गया।

### 1.2.2.2 वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)

राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर कानून कार्यान्वित किया है जो 1 जुलाई 2017 से प्रभाव में हैं। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों का क्षतिपूर्ति) कानून 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्षों की अवधि के लिए जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान की भरवाई करेगी। राज्य को देय क्षतिपूरक की गणना अंतिम राजस्व के आँकड़े की प्राप्ति के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाएगा जिसकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा की जायगी। जी0एस0टी0 के तहत लगाए गए करों का एक आधार वर्ष (2015-16) का राजस्व आँकड़ा जी0एस0टी0 अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया है। बिहार के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) में राजस्व ₹ 12,620.56 करोड़ था। राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़े के अनुसार वर्ष 2017-18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 12,301.25 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के लिए जी0एस0टी0 के तहत राजस्व आँकड़ा को राजस्व प्राप्ति के प्रकृति के अनुसार वित्त लेखे में दर्शाया गया है यानि, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0), एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर), एस0जी0एस0टी0 के कर घटक का आई0जी0एस0टी0 हस्तांतरण और आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम का हस्तांतरण। वर्ष 2017-18 के दौरान जी0एस0टी0 के तहत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 12,301.25 करोड़ के विरुद्ध अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 1.11 में दी गई है।

**तालिका-1.11: जी0एस0टी0 के पूर्व और एस0जी0एस0टी0 संग्रह, आई0जी0एस0टी0 का औपबंधिक बटवारा, और भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान राज्य के प्रस्तावित राजस्व के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा प्राप्त आई0 जी0एस0टी0 की क्षतिपूर्ति।**

(₹ करोड़ में)

महीना	राजस्व की रक्षा	पूर्व जी0एस0टी0 एकत्रित*	एस0जी0एस0टी0 संग्रह	आई0जी0एस0टी0 का औपबंधिक बटवारा	कुल प्राप्त राशि**	क्षतिपूरक प्राप्त***	कमी/वृद्धि	अभियुक्ति
	1	2	3	4	5= (2+3+4)	6	7= {1-(5+6)}	8
जुलाई और अगस्त 2017	2,733.61	1,401.70	375.64	-	1,777.34	-	(-) 956.27	₹ 552.00 करोड़ की राशि
सितम्बर और अक्टूबर 2017	2,733.61	273.85	571.00	1,113.26	1,958.11	692.00	(-) 83.50	विभाजन अग्रिम के रूप में आई. जी.एस.टी. को प्रदान की गयी
नवम्बर और दिसम्बर 2017	2,733.61	165.19	547.84	1,093.66	1,806.69	1,054.00	127.08	जिसकी कटौती अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में होगी।
जनवरी और फरवरी 2018	2,733.61	175.06	551.62	1,087.00	1,813.68	373.00	(-) 546.93	
मार्च 2018	1,366.81	415.32	316.80	538.03	1,270.15	922.00	825.34	
<b>कुल</b>	<b>12,301.25</b>	<b>2,431.12</b>	<b>2,362.90</b>	<b>3,831.95</b>	<b>8,625.97</b>	<b>3,041.00</b>	<b>(-) 634.28</b>	

\* वेट और सी.एस.टी. समेत (कुल रिफंड) और कर से प्राप्त राजस्व जो जी.एस.टी. इसमें पेट्रोलियम और मद्य पर भारित कर शामिल नहीं है।

\*\* लेखापरीक्षित आँकड़े।

\*\*\* क्षतिपूर्ति के आँकड़े औपबंधिक हैं।

उपरोक्त तालिका 1.11 से देखा जा सकता है कि जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन के कारण 2017-18 में ₹ 634.28 करोड़ का घाटा हुआ। जबकि ₹ 552.00 करोड़ आई0जी0एस0टी0 के अग्रिम विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ जिसका समायोजन अगले वित्तीय वर्ष यथा 2018-19 में किया जाना है। इस प्रकार, जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन

के कारण कुल घाटा ₹ 82.28 करोड़ था। तथापि ₹ 99.00 करोड़ (माह मार्च 2018 के लिए) की क्षतिपूर्ति इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार से मई 2018 में प्राप्त हुआ आधिक्य भुगतान का वसूली भविष्य में किए जाने वाले दावों या राज्य सरकार के खातों से प्रत्यक्ष आहरण जैसा भी नियम हो द्वारा किया जाना है।

### 1.2.2.3 संग्रहण पर लागत

वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण एवं उस पर हुए लागतों का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12: राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण एवं व्यय

क्रम सं०	विवरण	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वैट/बिक्री कर	8,298.10	72.30	0.87	0.69
2	राज्य उत्पाद शुल्क	(-)3.43	82.44	2,403.50	2.01
3	वाहन कर	1,599.51	61.62	3.85	2.61
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	3,725.66	53.85	1.45	2.99
5	एस.जी.एस.टी.	6,746.96	71.95	1.07	-
	<b>कुल</b>	<b>20,366.80</b>	<b>342.16</b>	<b>1.70</b>	<b>-</b>

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे)

जैसा कि उपर की तालिका से प्रदर्शित होता है कि राज्य उत्पाद कर के संग्रहण पर व्यय अखिल भारतीय औसत से ज्यादा था। यह मुख्यतः अप्रैल 2016 से राज्य में मद्य पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुआ।

तालिका 1.13: सकल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत

वर्ष	वैट/बिक्री कर		वाहन कर		मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क		राज्य उत्पाद शुल्क	
	बि.स.	भा.स.	बि.स.	भा.स.	बि.स.	भा.स.	बि.स.	भा.स.
2013-14	0.83	0.88	3.55	6.25	2.03	3.37	1.44	1.81
2014-15	1.11	0.91	3.97	6.08	1.40	3.59	1.53	2.09
2015-16	0.53	0.66	3.68	4.99	1.62	2.87	1.58	3.21
2016-17	0.64	0.69	3.67	2.61	1.60	2.99	310.05	2.01
2017-18	0.87	--	3.85	--	1.45	--	2,403.50	--

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

हलाँकि वैट/बिक्री कर एवं वाहन कर के संग्रहण में लागत पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत से ज्यादा था।

### 1.2.2.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार सहायता अनुदान और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश प्राप्त करती है। भारत सरकार के अनुदान का विवरण नीचे तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका 1.14: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
गैर-योजना अनुदान	3,288.13	3271.21	3,434.43	4,505.51	(-) 5.00
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	6,238.39	14,935.68	13,886.33	13,952.92	(-) 2.20
केन्द्र एवं केन्द्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	136.65	117.49	2,083.98	1,422.91	(-) 1.00
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	2,920.86	821.88	160.86	677.68	13,312.26
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	-	4,525.06
राज्य के लिए अनुदान	-	-	-	-	7,891.01
<b>कुल</b>	<b>12,584.03</b>	<b>19,146.26</b>	<b>19,565.60</b>	<b>20,559.02</b>	<b>25,720.13</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	22.44	52.15	2.19	5.08	25.10
राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	18.26	24.42	20.35	19.47	21.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान में ₹ 5,161.11 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण राजस्व घाटे के क्षतिपूर्ति (₹ 3,041 करोड़) के रूप में थी।

### 1.2.2.5 बकाया राजस्व

बकाये राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.15 में है:

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2018 को कुल लंबित राशि	5 वर्षों से अधिक की लंबित राशि
1.	बिक्री, ब्यापार आदि पर कर	वाणिज्य कर विभाग	2,945.25	625.30
2.	माल एवं यात्रियों पर कर		1,332.34	12.97
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क		22.99	2.25
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		10.58	8.22
5.	वाहन कर	परिवहन विभाग	1.89	अनुपलब्ध
6.	भू-राजस्व	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	143.26	अनुपलब्ध
7.	राज्य उत्पाद	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	49.40	22.23
8.	खनन एवं भूतत्व	खनन एवं भूतत्व विभाग	287.51	287.51
<b>योग</b>			<b>4,793.22</b>	<b>958.48</b>

(स्रोत: संबंधित विभाग)

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण किया जा सके जिससे राज्य के राजकोषीय घाटे के भार को कम किया जा सके।

### 1.2.3 पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-18 के दौरान पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	9,922	15,411	18,402	21,600	13,191
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	15	1,493	19	23	22
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,907	13,918	18,383	21,577	13,169
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	04	40	32	18	(-39)
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	04	55	19	17	(-39)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2016-17 के ₹ 21,600 करोड़ से घटकर वर्ष 2017-18 में ₹ 13,191 करोड़ रह गया यह कमी मुख्यतः लोक ऋण प्राप्तियाँ में 2016-17 के ₹ 21,577 करोड़ से 2017-18 में ₹ 13,169 करोड़ (₹ 8,408 करोड़) के कारण हुई।

पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी मुख्यतः राजस्व अधिशेष में ₹ 4003.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

#### 1.2.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार उधारी	6,500	8,100	11,500	17,700	10,000
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,471	1,154	1,204	1,588	1,771
अन्य <sup>5</sup>	1,386	3,946	4,861	777	0

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेश से प्राप्त ब्याज की तुलना में उच्च दर पर उधार के प्रभाव का वर्णन कंडिका 1.4.3 में किया गया है।

#### 1.2.3.2. भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	550	718	818	1,512	1,398

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>5</sup> बॉन्ड्स, रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अर्थोपाय एवं अग्रिम और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रत्याभूतियाँ

पिछले वर्ष की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 114 करोड़ की कमी मुख्यतः राजस्व अधिशेष में ₹ 4003.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

### 1.2.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन-देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधि आदि, की प्राप्तियों एवं संवितरण को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखा जाता है तथा इसके लिए राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर/ट्रस्टी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरणी 21 में दी गई है और लोक लेखे की प्राप्तियों (निवल) का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: लोक लेखा प्राप्तियों (निवल) की स्थिति

	(₹ करोड़ में)				
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	4,005.21	1,050.64	3,183.04	4,462.44	10,808.32
(अ) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 297.90	(-) 182.77	(-) 73.58	99.63	(-)80.25
(ब) आरक्षित निधि	698.58	730.13	90.69	(-) 129.15	(-)2.79
(स) जमा एवं अग्रिम	3,668.40	2,222.58	3,731.69	5,393.40	10,314.32
(द) उचंत एवं विविध	(-) 44.86	(-) 1,707.32	(-) 571.81	(-) 894.39	579.80
(इ) प्रेषण	(-) 19.01	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-)2.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.5.2 में की गई है।

## 1.3 संसाधनों का अनुप्रयोग

### 1.3.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

वर्ष 2013-18 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को चार्ट 1.6 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.6: कुल व्यय: संघटक एवं प्रवृत्तियाँ



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



### 1.3.2 राजस्व व्यय

योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल राजस्व व्यय	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	43,381	47,059	53,965	61,189	66,673
योजना राजस्व व्यय	19,096	25,511	29,651	33,576	35,951
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.45	8.48	14.68	13.39	8.96
योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.05	33.59	16.23	13.24	7.07

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### 1.3.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल व्यय	77,285	91,089	1,08,203	1,22,087	1,31,774
पूँजीगत व्यय	14,001	18,150	23,966	27,208	28,907
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय	97	58	36	16	41
योजना पूँजीगत व्यय	13,904	18,092	23,930	27,192	28,866
ऋण एवं अग्रिम	807	369	621	114	243
पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	46.07	29.63	32.04	13.53	6.24
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.30	(-) 40.21	(-) 37.93	(-) 55.56	156.25
योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	46.48	30.12	32.27	13.63	6.16
चालू मूल्य पर जी0एस0डी0पी0 की तुलना में पूँजीगत व्यय (प्रतिशत में)	4.42	5.29	6.49	6.39	5.93

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय ₹ 28,907 करोड़ में से, राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सहकारी समितियों में ₹ 7,120.82 करोड़ का निवेश किया। जिसमें से ₹ 6,931.11 करोड़ का निवेश बिहार राज्य ऊर्जा (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड परियोजना में किया गया। दूसरे मुख्य व्ययों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर ₹ 6,388 करोड़, सड़क एवं पुलों पर ₹ 5,373 करोड़, जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर ₹ 1,764 करोड़, लोक निर्माण पर ₹ 1,665 करोड़ और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर ₹ 1,519 करोड़ खर्च किए गए।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राज्य का पूँजीगत व्यय 5.93 प्रतिशत इसके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश (4.37 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (2.84 प्रतिशत) झारखंड (4.68 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (3.43 प्रतिशत) से ज्यादा था।

### 1.3.4 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 17,778.74 करोड़), पेंशन (₹ 14,293.48 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 9,053.78 करोड़), तथा सब्सिडी (₹ 5,023.06 करोड़) शामिल है। कुल प्रतिबद्ध व्यय (₹ 46,149.06 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 66,673 करोड़) का 69.22 प्रतिशत है। तालिका 1.22 2013-18 के दौरान किए गए प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.22: प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	14,036.67 (20.37)	14,607.44 (18.63)	14,923.73 (15.52)	15,784.04 (14.95)	18,656.93	17,778.74 (15.14)
1(अ)	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	13,315.36	13,910.31	14,307.22	15,106.13	18,009.89	16,948.39
1(ब)	योजना	721.31	697.13	616.51	677.91	647.04	830.35
2	ब्याज भुगतान	5,459.04 (7.92)	6,128.75 (7.82)	7,097.69 (7.38)	8,190.70 (7.76)	9,591.35	9,053.78 (7.71)
3	पेंशन पर व्यय	9,481.73 (13.76)	11,344.50 (14.47)	11,830.46 (12.31)	12,514.52 (11.85)	19,877.63	14,293.48 (12.17)
4	सब्सिडी	1,464.38 (2.12)	4,628.36 (5.90)	9,010.45 (9.37)	8,757.44 (8.29)	6,628.75	5,023.06 (4.27)
5	कुल प्रतिबद्ध व्यय	30,441.82 (44.17)	36,709.05 (46.81)	42,862.33 (44.59)	45,246.70 (42.85)	54,754.66	46,149.06 (39.29)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से वास्तविक व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2017-18)

#### 1.3.4.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में परिभाषित हैं। इस योजना में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है इसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और पूरी राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) / ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरण कर दिया जाता है। 31 मार्च 2010 तक केन्द्रीकृत रिकार्ड कीपिंग एवं एकाउन्टी एजेन्सी और पेंशन फंड मैनेजर की नियमित व्यवस्था होने तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रिकार्ड एवं लेखा का संधारण बिहार सरकार द्वारा किया गया। 1 अप्रैल 2010 से बिहार सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सम्बंधित खाते का प्रबंधन एन0एस0डी0एल0- सी0आर0ए0 द्वारा किया जा रहा है।

वी0एल0सी0 आँकड़े के जाँच से यह पता चला कि 2017-18 के दौरान एन0पी0एस0 के लिए ₹ 934.94 करोड़ का अंशदान था तथा सरकार ने ₹ 937.34 करोड़ एन0एस0डी0एल0 में जमा किए जिसमें से ₹ 2.34 करोड़

पिछले वर्ष के थे। 2005-06 से 2017-18 के कुल अंशदान ₹ 3,891.21 करोड़ में से केवल ₹ 3,762.93 करोड़ ही एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित किए गए तथा ₹ 128.28 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8011 एवं 8342 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 41.32 करोड़ एवं ₹ 86.96 करोड़) शेष रह गया। इस प्रकार वर्तमान दायित्व भविष्य के लिए विलम्बित की गई।

राज्य सरकार कर्मियों के एन0पी0एस0 खाते दो अवधियों पहला 01.09.2005 से 31.03.2010 तक तथा दूसरा 01.04.2010 से आगे, से संबंधित है। पहली अवधि के दौरान कर्मियों के एन0पी0एस0 खाते एन0एस0डी0एल0 से नहीं खोले गए बल्कि राज्य सरकार ने कर्मियों पर अंशदायी पेंशन योजना लागू की जिसमें कर्मियों के खातों का संधारण भविष्य निधि निदेशालय (पी0एफ0डी0) लागू कर बिहार (वित्त विभाग की इकाई) द्वारा किया जाता था। दूसरी अवधि के दौरान यथा 01.04.2010 के बाद (जो 01.09.2005 के बाद सेवा में नियुक्त हुए) के एन0पी0एस0 खाते राज्य सरकार द्वारा एन0एस0डी0एल0 में खोले गए और इसके अलावा 01.04.2010 से नियमित अंशदान, संबंधित पूर्व आँकड़े तथा राशि भी एन0एस0डी0एल0 में अंतरित कर दी गयी। आगे, चूँकि वित्त विभाग (दिसम्बर 2018) ने बताया था कि पहली अवधि से संबंधित पूर्व निधि (लिंगेसी फंड) पूरी तरह से एन0एस0डी0एल0 को अंतरित कर दिया गया है, परन्तु इसी बात को पी0एफ0डी0 जो उन खातों/लेखे के संधारण के लिए जवाबदेह थी, से पूछने पर (मार्च 2019 में) जवाब दिया गया कि अंशदायी पेंशन योजना (सी0पी0एस0) राशि (जो कोषागार में पड़ी थी) का एन0पी0एस0 खातों में अंतरण के लिए मैपिंग में दो माह का समय लगेगा और अंतिम जवाब 31.08.2019 तक उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा इस तरह का जवाब (दिसम्बर 2018) दिया जाना स्वीकार्य नहीं है।

बिहार सरकार के आदेश संख्या 16, दिनांक- 06.01.2016 के अनुसार ब्याज का भुगतान बिहार सरकार द्वारा जी0पी0एफ0 दर पर कुल योगदान पर 31 मार्च 2016 तक या जब तक राशि एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित न हो जाए, जो पहले किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि बिहार सरकार द्वारा योगदान पर ब्याज की गणना अगस्त 2017 तक नहीं की गई। 01.09.2005 से 31.03.2010 की अवधि के लिए ₹ 70.01 करोड़ की निधि अंतरण न होने के कारण सरकार द्वारा ₹ 34.24 करोड़ की कल्पित देनदारी सृजन हो गयी। इसके अलावा, वित्त लेखे के अनुसार संबंधित शीर्ष 2049-03-117-0001 में ब्याज का भुगतान वर्ष 2017-18 तक बिहार सरकार द्वारा नहीं किया गया। नई पेंशन प्रणाली की संचित निधि पर ब्याज की गणना नहीं करने के परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान न करने पर सरकारी कर्मचारियों को उनके एन0पी0एस0 फंड की मूल्यांकन करने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

ऐसी परिस्थितियों में क्या 01.09.2005 को या उससे बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के एन0पी0एस0 खाते खोले गए तथा उनके वेतन से कटौती की गयी राशि उचित रूप से उनके व्यक्तिगत एन0पी0एस0 खातों में अंतरित की गयी, इसका उचित जवाब राज्य सरकार द्वारा अभी तक दिया जाना बाकी है। जैसा कि 1 सितम्बर 2005 से 31 मार्च 2010 के दौरान एन0पी0एस0 प्रणाली में ब्योरो परिग्रहण के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसलिए राज्य सरकार ने गलत तरीके से निधि का उपयोग किया जो उसके कर्मचारियों से संबंधित थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को सरकार को दी जाने वाली वित्तीय देयताओं के रिटर्न की दर की संभावित अनिश्चितता उत्पन्न करती है तथा इसलिए यह अपने आप में योजना की विफलता है।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई कर सुनिश्चित करना चाहिए कि 1 सितम्बर 2005 या उसके बाद में भर्ती कर्मचारियों उनकी भर्ती की तिथि से नयी पेंशन प्रणाली के अधीन पूर्णतः शामिल हो। यह काम यह सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों की कटौती पूरी तरह से कटौती की जाती हो, जो सरकारी योगदान से पूर्णतः मेल खाता हो एवं एन0एस0डी0एल0 में ससमय पूर्णतः अंतरित होता है।

### 1.3.5 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन आयाम निहित होते हैं, यथा व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावकारिता (सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

### 1.3.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2017-18 के दौरान पूँजीगत व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और विकासात्मक व्यय के संदर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण तालिका 1.23 में किया गया है।

तालिका 1.23: वर्ष 2013-14 और 2017-18 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (जी0एस0डी0पी0 का प्रतिशतता)	ए.ई./ जी.एस. डी.पी.	डी. ई#/ ए.ई.	ई.एस. ई./ए. ई.	एस.एस. ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 2013-14	14.70	66.50	28.9	37.60	13.60	17.20	4.50
बिहार का औसत 2013-14	24.37	69.77	33.2	36.56	18.12	19.47	3.33
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 2017-18	16.10	67.90	29.6	36.70	14.40	15.50	4.90
बिहार का औसत 2017-18	27.02	72.56	34.6	37.97	21.94	18.85	4.69
ए.ई.—कुल व्यय, डी.ई.—विकासात्मक व्यय, एस.एस.ई.—सामाजिक सेवा व्यय, ई.एस.ई.—आर्थिक सेवा व्यय सी.ई.—पूँजीगत व्यय, #डी.ई.: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।							

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका से स्पष्ट है कि, विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय पूँजीगत व्यय और शिक्षा सेवाओं पर कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। यद्यपि, कुल व्यय में शिक्षा का अंश चार वर्षों की अवधि में 2017-18 में कम हो गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

### 1.3.5.2 व्यय की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के संचालन हेतु पूँजीगत और राजस्व व्ययों का विवरण नीचे तालिका 1.24 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.24: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक संरचना	2016-17		2017-18	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू <sup>6</sup> का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश
सामान्य शिक्षा	3.38	22.59	4.99	22.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.85	48.34	9.14	46.86
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	15.05	3.12	25.40	4.55
<b>कुल (सामाजिक सेवाएँ)</b>	<b>8.42</b>	<b>21.75</b>	<b>9.74</b>	<b>22.00</b>
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5.30	22.71	5.18	16.27
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	63.14	56.91	67.20	51.20
विद्युत एवं ऊर्जा	42.71	0.00	61.69	0.00
परिवहन	75.81	12.98	79.40	19.05
<b>कुल (आर्थिक सेवाएँ)</b>	<b>50.85</b>	<b>10.51</b>	<b>58.83</b>	<b>14.32</b>
<b>कुल (सामाजिक + आर्थिक सेवाएँ)</b>	<b>26.87</b>	<b>18.46</b>	<b>29.59</b>	<b>20.18</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>6</sup> वेतन एवं मजदूरी

## 1.4 सरकारी व्यय एवं निवेश

### 1.4.1 सिंचाई कार्यों का वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय) के वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए इन परियोजनाओं से वसूली की दर निर्धारित की थी। वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.25 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.25: सिंचाई परियोजनाओं से लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्ति	13वें वित्त आयोग (2010-15) / 14वें वित्त आयोग (2015-20) का लागत वसूली आकलन	राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय	लागत वसूली में अंतर
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत में)		
2013-14	724.69	23.52	60	3	57
2014-15	680.96	21.34	75	3	72
2015-16	846.14	31.11	35	4	31
2016-17	680.98	28.23	35	4	31
2017-18	792.06	44.70	35	6	29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 13वें और 14वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

लागत वसूली में अंतर (29 प्रतिशत) पड़ोसी राज्यों, यथा मध्य प्रदेश (-47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (21 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (-76 प्रतिशत) से ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत प्रयास करना होगा।

### 1.4.2 अपूर्ण परियोजनाओं

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि अवरुद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। वित्त लेखे में शामिल अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण सारांशीकृत रूप में तालिका 1.26 में दी गई है:

तालिका 1.26: 31 मार्च 2018 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2018 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	13	59.51	10.86
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	62	533.01	326.72
पथ निर्माण	25	781.76	334.21
भवन निर्माण	15	385.69	178.18
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	7	9.87	6.29
ग्रामीण कार्य	2	3.26	1.38
राष्ट्रीय राजमार्ग	3	46.54	34.57
<b>कुल</b>	<b>127</b>	<b>1,819.64</b>	<b>892.21</b>

(स्रोत: वर्ष 2017-18 का वित्त लेखा)

वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक पूर्ण होने वाली कुल 127 परियोजनाओं में से मात्र तीन परियोजनाओं<sup>7</sup> का ही लागत संशोधन (कुल 73.33 प्रतिशत की वृद्धि) किया गया। जिसका विस्तृत विवरणी वित्त लेखे भाग-II के परिशिष्ट IX में है। शेष 124 कार्यों की जिनकी अनुमानित लागत ₹ 1,798.64 करोड़ थी उनका लागत संशोधन का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा इनका संशोधित लागत वित्त लेखे में भी शामिल नहीं था जिस कारण यह अज्ञात रहा।

<sup>7</sup> जल संसाधन विभाग में एक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक एवं पथ निर्माण विभाग में एक।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे की परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके। सभी अपूर्ण परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को प्राथमिकता पर तैयार कर उनका अनुमोदन करना चाहिए जिससे इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।

### 1.4.3 निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष 2013-18 के दौरान निवेश<sup>8</sup> पर प्रतिलाभ की स्थिति तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	2,867.18	7,068.79	9,940.24	15,916.47	23,037.29
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	2.53	2.58	14.84	3.73	1.34
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.09	0.04	0.15	0.02	0.01
सरकारी उधारी पर ब्याज <sup>9</sup> की औसत दर (प्रतिशत)	6.68	6.59	6.58	6.42	6.13
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर (प्रतिशत)	6.19	6.15	5.94	5.88	5.82
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	177.48	434.73	590.45	935.89	1,340.77

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश पर ₹ 3,479.32 करोड़ की हानि हुई।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि निवेश पर खराब प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने नियमित रूप से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान, सब्सिडी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्रदान किया है, जिन कंपनियों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था। यह पाया गया कि 2017-18 के दौरान राज्य सरकार तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं सहकारी संस्थानों को इक्विटी के रूप में ₹ 71,20.82 करोड़ का बजटीय सहायता विस्तारित किया। जैसा कि तालिका 1.28 में दिया गया है

तालिका 1.28: राज्य सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम0 सं0	संस्था का नाम	वर्ष के दौरान निवेशित राशि	अभियुक्ति
1.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	100.00	2012-13 तक के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया था।
2.	बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड	6,931.11	2016-17 तक के लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया था।
3.	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	20.00	उपलब्ध नहीं है।
4.	अन्य सहकारी	69.71	उपलब्ध नहीं है।
योग		7,120.82	

(स्रोत: वर्ष 2017-18 का वित्त लेखे)

<sup>8</sup> स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों एवं बैंकों में।

<sup>9</sup> औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान / ((पिछले वर्ष का राजकोषीय उत्तरदायित्व + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय उत्तरदायित्व) / 2) \* 100।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 तक किसी भी तरह का लाभांश निति का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए नहीं किया गया। वित्त लेखे के अनुसार केवल दो कम्पनियों ने अंशदान का योगदान किया है यथा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़) और क्रेडिट को-ऑपरेटिव (₹ 0.29 करोड़)।

चूँकि इक्विटी या ऋणों पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं है और ये राज्य सरकार के परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण प्रस्तुति करते हैं इस प्रकार इन सरकारी कम्पनियों/ पी.एस.यू./सहकारी समितियों को केवल सहायता अनुदान के द्वारा बजटीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को जैसे इकाईयों का, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है, में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जिन इकाईयों के लेखे बकाये में हैं, उनमें निवेश तथा ऋण विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

#### 1.4.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। यह विस्तृत रूप से तालिका 1.29 में दिया हुआ है।

तालिका 1.29: वर्ष 2013.18 के दौरान लंबित ऋण एवं अग्रिम तथा बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष	20,587.01	21,379.35	20,255.00	20,857.73	20,948.29
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम की राशि	807.38	368.71	621.23	113.87	242.78
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	15.03	1,493.06	18.50	23.31	21.89
<b>ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष</b>	<b>21,379.36</b>	<b>20,255.00</b>	<b>20,857.73</b>	<b>20,948.29</b>	<b>21,169.18</b>
बकाया ब्याज	3,017.55	3,017.55	5,478.14	6,652.60	7,823.47
बकाया ऋण तथा अग्रिम के सापेक्ष बकाया ब्याज की प्रतिशत	14.11	14.90	26.26	31.76	36.96

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- (i) इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों में बढ़ कर 31 मार्च 2018 को यह ₹ 7,823.47 करोड़ हो गया।

सरकार द्वारा दी गई ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के भाग 1 में तथा इकाईयों का विवरण जिनका ऋणों का पुनर्भुगतान बाकी है वित्त लेखे के विवरणी संख्या-18 के भाग 2 में दिया गया है।

- (ii) जैसा कि तालिका 1.30 में दर्शाया गया है, पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न इकाईयों द्वारा बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्ति नहीं हुई।



तालिका 1.30: ऋणी संस्थाओं के पुनर्भुगतान के बकायों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2018 को बकाया राशि*			आरंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2018 को संस्था पर कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
सरकारी कंपनियाँ	2,650.83	2,376.87	5,027.70	2001-02	5,411.64
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	672.12	547.03	1,219.15	2001-02	1,102.72
पंचायती राज संस्थाएँ	17.47	23.54	41.01	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,525.95	4,394.99	7,920.94	2001-02	13,376.82
अन्य	208.50	417.64	626.14	2001-02	615.00
<b>योग</b>	<b>7,094.41</b>	<b>7,823.47</b>	<b>14,917.88</b>		<b>20,950.66</b>

\*वर्ष 2000-01 तक बकाया राशि ₹ 3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹ 1,522.50 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(स्रोत: वर्ष 2017-18 का वित्त लेखे)

**अनुशंसा:** वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाइयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम को पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।

## 1.5 परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

### 1.5.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं में वृद्धि तथा इसके संघटक

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में अचल सम्पत्तियों जैसे सरकारी भूमि और भवन का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है तथापि, ये वित्तीय देयताएँ के लेखांकन के व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

**परिशिष्ट 1.6,** 31 मार्च 2017 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2018 तक की इस प्रकार की देयताएँ तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधारी, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखे एवं संचित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं जबकि परिसंपत्तियाँ में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

### 1.5.2 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छः आरक्षित निधियाँ<sup>10</sup> हैं जैसा कि तालिका 1.31 में दर्शाया गया है।

<sup>10</sup> राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ और मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधियाँ।



तालिका 1.31: आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखे शीर्ष	01अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	2017-18 में प्राप्तियाँ	2017-18 में संवितरण	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष
(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ					
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ (एस0डी0आर0एफ0)	696.39	721.32	1,417.71	0.00
(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ					
1	8222-निक्षेप निधि	0.00	693.61	693.61	0.00 <sup>11</sup>
कुल		696.39	1,414.93	2,111.32	0.00

(स्रोत: वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे)

पिछले 17 से 18 वर्षों से चार आरक्षित निधियों यथा, मूल्य हास/नवीकरण आरक्षित निधियाँ, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ में कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों की समीक्षा कर बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अन्य दो आरक्षित निधियों से संबंधित प्राप्तियाँ तथा संवितरण का वर्णन नीचे किया गया है:-

#### 1.5.2.1 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को सभी ऋणों के साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देयताओं इत्यादि के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना करनी चाहिए तथा इन निधियों का उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावे अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, ने वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान निर्धारित करने का दिशा-निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008-09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की जो सिर्फ बाजार ऋण के परिशोधन के लिए था जबकि 2014-15 से इसका उपयोग सरकार के बकाया देयताओं के विमोचन के लिए किया जाना था। 31 मार्च 2018 तक निधियों का अंत शेष ₹ 4,111.24 करोड़ था।

#### 1.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन वर्ष 2010-11 में प्रारंभ किया। योजना में यह भी वर्णन है कि निधि में अभिवृद्धि के साथ-साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय का निवेश केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम कोषागार विपत्रों, ब्याज अर्जक जमाओं एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ निक्षेपों का प्रमाण पत्र तथा सहकारी बैंकों के साथ ब्याज अर्जक निवेशों में किया जाना चाहिए।

1 अप्रैल 2017 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 696.39 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 721.32 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी (केंद्र ₹ 592.07 करोड़ एवं राज्य ₹ 129.25 करोड़) तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,417.71 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2018 को अंतिम शेष ₹ छः हजार रह गया। पुनः सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 57.45 करोड़ (रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिविकर्ष पर लागू दर से) के ब्याज का भुगतान नहीं

<sup>11</sup> कोष में जमा राशियों का निवेश वित्त लेखे के विवरण सं० 22 के अनुसार दर्शाए गए हैं। 31 मार्च, 2018 की तिथि तक निक्षेप निधि निवेश लेखा का अंतिम शेष जमा ₹ 4,111.24 करोड़ था।

किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार का राजस्व अधिशेष ज्यादा तथा राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ जिसका वर्णन कंडिका 3.14 में किया गया है।

**अनुशंसा:** वित्त विभाग को वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेषों को ब्याज अर्जक जमाओं में निवेश करना चाहिए था।

### 1.5.3. प्रत्याभूतियाँ

#### प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया। राज्य सरकार इसके दिशा निर्देशों के अनुसार ₹ 24.33 करोड़ (वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में ₹ 4,865.07 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही।

वित्त लेखे के विवरणी 9 के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.32 में दिया हुआ है।

तालिका 1.32: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अधिकतम प्रत्याभूत राशि	2,586.84	5,314.84	9,396.62	13,053.04	20,234.10
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,446.74
वर्ष के अंत में प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1,090.23	2,000.90	4,720.78	4,459.58	5,174.49
कुल राजस्व प्राप्त से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	3.75	6.78	9.78	12.36	17.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अधिकतम प्रत्याभूत राशि में से ऊर्जा (₹ 12,166.91 करोड़), सहकारिता (₹ 1,268.84 करोड़), पथ एवं परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 183.57 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़), सिंचाई (₹ 4.93 करोड़) तथा अन्य (₹ 4,486.09 करोड़) संबंधित था।

लोक क्षेत्र उपक्रमों, जो कि बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, के लिए राज्य सरकार भारतीय संविधान के द्वारा तय किए गए सीमा के अंतर्गत गारंटी देती है जिस पर गारंटी शुल्क लगता है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक- 05/07/1974 के अंतर्गत ₹ 10 लाख के ऊपर गारंटी के लिए गारंटी शुल्क कुल गारंटी का 1/8 प्रतिशत वार्षिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सरकार को देना है। गारंटी डीड में गारंटी शुल्क वसूली के लिए कोई धारा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से बिहार सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का दावा भी नहीं किया गया। आठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कुल गारंटी ₹ 7,030.00 करोड़ 31 मार्च 2018 तक दिए गए थे। सात<sup>12</sup> सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने 31 मार्च 2018 तक अपने लंबित गारंटी के लिए किसी भी तरह का शुल्क भुगतान नहीं किया था। जबकि, एक कम्पनी (बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम) से 2017-18 में ₹ 2.38 करोड़ (₹ 3.13 करोड़ में से) की राशि प्रत्याभूति शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

<sup>12</sup> बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, बिहार राज्य पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

## 1.6 ऋण प्रबंधन

### 1.6.1 लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत निधि की निवल उपलब्धता

2013-18 के दौरान लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता का विवरण तालिका 1.33 में दिया हुआ है।

तालिका 1.33: लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत निधि की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण एवं लोक लेखे दायित्वों के अंतर्गत प्राप्तियाँ <sup>13</sup>	30,249	41,188	56,030	72,845	59,412
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	25,272	35,200	45,606	58,892	50,411
निवल निधि उपलब्धता <sup>14</sup>	4,977	5,988	10,424	13,953	9001
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता का प्रतिशत	16.45	14.54	18.60	19.15	15.15

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा ली गई उधार निधियों में से 80 से 85 प्रतिशत की राशि का उपयोग उधारी के पुनर्भुगतान तथा इसके ब्याज अदायगी के रूप में किया गया, जो दर्शाता है कि राज्य द्वारा विकासात्मक क्रियाओं में कम खर्च किया गया। 2017-18 के दौरान लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता का प्रतिशत 15.15 था जबकि उत्तरप्रदेश 17.27 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 13.37 प्रतिशत, झारखंड 22.24 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 35.01 प्रतिशत था।

### 1.6.2 ऋण निर्वाहता

ऋण निर्वाहता भविष्य में ऋण के निर्वहन के लिए राज्य की योग्यता को इंगित करता है। तालिका 1.34 वर्ष 2013-14 के आरंभ से पाँच वर्षों की अवधि में ऋण निर्वाहता के सूचकांक को दर्शाता है।

तालिका 1.34 ऋण निर्वाहता : सूचकांक तथा प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
उधार निधि के निवल उपलब्धता	4,977	5,988	10,424	13,953	9001.49
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	10	10	8	8	8
राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
बकाया ऋण*	86,939	99,056	1,16,578	1,38,722	1,56,777
बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.64	13.94	17.69	19.00	13.02
बकाया ऋण (राजकोषीय दायित्व)/ जीएसडीपी (प्रतिशत में)	27.42	28.88	31.55	32.57	32.15
ब्याज भुगतान	5,459	6,129	7,098	8,191	9,054
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर <sup>#</sup>	6.68	6.59	6.58	6.42	6.13

\* उदय सहित (₹ 2,331.78 करोड़)

# फॉर्मूला परिशिष्ट- 1.7 में

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>13</sup> 2014-15 के दौरान ₹ 1.63 करोड़, 2015-16 के दौरान ₹ 0.63 करोड़ तथा 2016-17 के दौरान ₹ 1.75 करोड़

<sup>14</sup> उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ-(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व-गैर-योजना मुख्यशीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)

### 1.6.3 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

उदय भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में शुरू की गई, यह विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज था तथा यह विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय तथा परिचालन रूप से सक्षम बनाता है ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कर सकें।

इस योजना के तहत, 30 सितम्बर 2015 को डिस्कॉम के ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) में से 75 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 25 प्रतिशत) का अधिग्रहण राज्य द्वारा गैर-सांविधिक तरलता अनुपात बॉण्ड<sup>15</sup> जारी कर किया गया तथा इसको अनुदान, ऋण तथा इक्विटी के रूप में विद्युत कंपनियों को हस्तांतरण किया जाना था। पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार का दायित्व ₹ 2,331.78<sup>16</sup> करोड़ था।

डिस्कॉम के 2017-18 के लिए औपबंधिक खातों से यह प्रतीत होता है कि दोनों डिस्कॉम में लागत पूँजी पर नाकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा था और यह एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए (-) 24.06 प्रतिशत एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए (-) 8.41 प्रतिशत था इसके अलावे 31 मार्च 2018 को दोनों डिस्कॉम पर ₹ 96.38 करोड़ का ऋण बकाया था (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 56.56 करोड़ एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 39.82 करोड़)। जबकि सभी दर सब्सिडी एवं ऋण का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है डिस्कॉम कंपनी अभी तक संचालन घाटा उठा रही है।

डिस्कॉम को प्राप्त वित्तीय पैकेज का खण्डवार विश्लेषण तालिका 1.35 में दिया गया है।

तालिका 1.35: डिस्कॉम को वित्तीय पैकेज

		(₹ करोड़ में)
क्रम. सं०	सहायता की प्रकृति	राशि
1.	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	1,369.89
2.	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	961.89
<b>योग</b>		<b>2,331.78</b>

राज्य सरकार के द्वारा उदय योजना के अंतर्गत जारी किए गए बॉण्ड पर वर्ष 2017-18 में ₹ 191.36 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

**अनुशंसा:** राज्य सरकार को अपने ब्याज भुगतान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे कि बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

<sup>15</sup> सांविधिक तरलता अनुपात यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहकों को ऋण/साख देने से पहले इसको नकद, आरक्षित स्वर्ण एवं सरकार द्वारा अनुमोदित सिक्कोरिटी के रूप में रखना आवश्यक है।

<sup>16</sup> 2015-16 में ₹ 1,554.52 करोड़ (50 प्रतिशत) तथा 2016-17 में ₹ 777.26 करोड़ (25 प्रतिशत)